राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 397/2016/जालौर.
2. अपील संख्या – 398/2016/जालौर.
3. अपील संख्या – 399/2016/जालौर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अर्बुदा जनरल स्टोर, भीनमाल, जालौर .....प्रत्यर्थी.

4. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 1114/2016/जालौर.
5. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 1115/2016/जालौर.
6. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 1116/2016/जालौर.

मैसर्स श्री अर्बुदा जनरल स्टोर, भीनमाल, जालौर .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.
श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/11/2017

निर्णय

1. उपरोक्त तीनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 5, 6 व 7/आरवेट/जालौर/14–15 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी राजस्व की अपीलों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी वेट अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61(1) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की है, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

लगातार.....2

1–3. अपील संख्या – 397, 398 व 399/2016/जालौर.
4–6. प्रत्याक्षेप (क्रॉस–ऑब्जेक्शन्स) संख्या–1114, 1115 व 1116/2016/जालौर.

2. उपरोक्त सभी अपीलों एवं प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रार्थना–पत्रों के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण विभागीय टीम द्वारा दिनांक 24.10.2013 को किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा बालाजी कम्पनी के वेफर्स/पोटेटो चिप्स का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया जा रहा है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को राजस्थान कर बोर्ड के **मैसर्स अंकल चिप्स कम्पनी प्रा0 लि0 के निर्णय दिनांक 18.01.2005** के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य माना गया। उक्त आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2011–12, 2012–13 व 2013–14 (28.08.2014 तक) के कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25, 61(1) व 55 के तहत दिनांक 28.08.2014 को पारित करते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। इसी के साथ वक्त जांच अघोषित/अधिक पाये गये माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के आदेश में धारा 75(8) के तहत भी शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, राजस्थान कर बोर्ड के **निर्णय दिनांक 16.05.2008 मैसर्स पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर व ब्याज की पुष्टि की गयी, जबकि धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स** के आलोक में अपास्त किया गया। धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में प्रकरण पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं तथा अपीलार्थी राजस्व की अपीलों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं।

लगातार.............3

1–3. अपील संख्या – 397, 398 व 399/2016/जालौर.
4–6. प्रत्याक्षेप (क्रॉस–ऑब्जेक्शन्स) संख्या–1114, 1115 व 1116/2016/जालौर.

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि वैफर्स/पोटेटो चिप्स पर कर दर के बिन्दु का विवाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.एस.टी.आर. नं0 197/2009, 198/2009 व 199/2009 मैसर्स पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा0 लिमिटेड बनाम उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–प्रथम, जयपुर के मामले में दिये गये निर्णय दिनांक 31.03.2017** में निर्णीत हो चुका है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वैफर्स/पोटेटो चिप्स को वैट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 107 में शुमार करते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना निर्णीत किया है।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के उक्त कथन को स्वीकार करते हुए तद्नुसार अपीलों का निस्तारण किये जाने का कथन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में बालाजी कम्पनी की वैफर्स/पोटेटो चिप्स की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गई है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल पर सामान्य कर दर अर्थात् 14 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए तद्नुसार 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज व करापंवचन के लिये शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करने का आधार मैसर्स पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग के मामले में राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 16.05.2008 में प्रतिपादित सिद्धान्त है, परन्तु राजस्थान कर बोर्ड के उक्त निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त **एस.बी.एस.टी.आर. नं0 197, 198 व 199/2009 मैसर्स पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा0 लिमिटेड बनाम उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर व वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–प्रथम, जयपुर में कर बोर्ड के निर्णय को अपास्त कर निर्णय दिनांक 31.03.2017** में निम्न व्यवस्था दी गयी है –

> "27. Taking into consideration the aforesaid, in my view, the claim of the petitioner is justified and I am inclined to allow the same by holding that "Potato Chips" would fall in the category of entry 107

लगातार.....4

to be charged with tax @ 4%, and once rate of 4% has been held to be well reasoned and justified, which was claimed by the petitioner, then question of levy of interest does not arise, so also once the claim of the assessee is well reasoned and justified, question of imposition of penalty u/s 61 automatically goes. Even otherwise it is a case of classification of entries and no case can be made out of evasion of tax."

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में दी गयी व्यवस्था के आलोक में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद वैफर्स/पोटेटो चिप्स पर वेट अधिनियम की अनुसूची—IV के अनुसार ही कर देयता बनती है, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने ग्राहकों से वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवाई गयी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित माल को अनुसूची—V अनुसार करयोग्य मानते हुए तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

9. प्रकरण में वक्त जांच कुछ माल घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया, इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत करापवंचन के आरोप में शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रकरण पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

10. अतएव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पोटेटो चिप्स पर आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति अपास्त किये जाते हैं।

11. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स स्वीकार किये जाते हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य